न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 77/2022

Ripudaman R/o 30, Barwada house civil lines, ajmer road, jaipur

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

-- --

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 23.03.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.02.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 77/2022 पर दिनांक 22.02.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/596–97 दिनांक 22.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2022/1272 दिनांक 23.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री रिपुदमन सिंह की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है तथा ना ही अधोहस्ताक्षरकर्ता की SSO ID पर प्राप्त हुआ है। प्रार्थी से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उक्त सूचना उप पंजीयक नवलगढ कार्यालय से संबंधित थी जो प्रार्थी को प्राप्त हो चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ पत्रांक सू0अ0अ0/2022/1272 दिनांक 23.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री रिपुदमन सिंह की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है तथा ना ही अधोहस्ताक्षरकर्ता की SSO ID पर प्राप्त हुआ है। प्रार्थी से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उक्त सूचना उप पंजीयक नवलगढ कार्यालय से संबंधित थी जो प्रार्थी को प्राप्त हो चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:29 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनू